

विषय:- COVID-19 Pandemic के कारण लोक निर्माण कार्य के प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।

झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश सं०-98/HSN दिनांक 22.03.2020 द्वारा COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखण्ड में इसके प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पूर्णतया तालाबंदी (lock down) की घोषणा की गई एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई।

इस प्रकार दिनांक 22.03.2020 से निर्माण कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाया गया था।

2. COVID-19, Pandemic के कारण हुए lockdown से संरचना विकास के क्षेत्र (infrastructure development) में कठिनाई उत्पन्न हुई है। संवेदकों, संवेदक Guild यथा Builder's Association of India इत्यादि के द्वारा राज्य सरकार का उस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

3. सम्यक विचारोपरंत संवेदकों एवं परामर्शियों को COVID-19 Pandemic के कारण हुए lockdown जिसका प्रभाव Supply chain, access to labour and manpower पर पडा है, से संवेदकों, परामर्शियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिया जाता है :-

- i. सभी continuing असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) contract एवं संबंधित परामर्शियों(Consultants) को अपने दायित्व निर्वहन हेतु छः (6) महीने का अवधि विस्तार (extension of time) दिया जाता है।
- ii. यह उन्हीं Contracts के लिए लागू होगा जिसका date of completion 23 मार्च 2020 के बाद की अवधि का है।
- iii. उपरोक्त कण्डिका-iii में वर्णित Date of Completion का तात्पर्य है -

a. Date of completion as per असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) के Contract

b. यदि पूर्व में अवधि विस्तार की गई हो तो उसके अनुसार date of completion

उपरोक्त दोनों तिथि यदि 23 मार्च 2020 के बाद की अवधि है तभी संबंधित असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) के Contract के अवधि विस्तार की पात्रता (eligibility) होगी।

25.01.2021

- iv. यह अवधि विस्तार वैरी प्रगतिशील(continuing) योजनाओं पर होगा जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार के Plan/Capital (योजना/पूजीगत) एवं Non Plan /Revenue head (गैर योजना/राजस्व) हो रहा है।
- v. दिनांक 23.03.2020 के बाद छः (6) महीने की समय वृद्धि (extension of time) एक मुश्त दी जायेगी। इस समयवृद्धि का आदेश अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- vi. यह अवधि विस्तार बिना Price Adjustment के विस्तारित किया जायेगा। यानि Price Adjustment की तिथि, यदि लागू हो, तो यह योजना के समापन की मूल तिथि तक (Date of Completion as per असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) contract) ही सीमित होगी। इसका मूल उद्देश्य बिना किसी आर्थिक दण्ड के कार्य के समापन हेतु समयवृद्धि का है।
4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

५.११.२०२३
25.1.2021

(मुरारी भगत)
अभियन्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०/०६-विविध-४०/२०२० - 252 (5) दिनांक : 25/01/21

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

५.११.२०२३
25.1.2021

अभियन्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०/०६-विविध-४०/२०२० - 252 (5) दिनांक : 25/01/21

प्रतिलिपि :- अभियन्ता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ मुख्य अभियन्ता (याता०), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। सभी अधीक्षण अभियन्ता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित), पथ निर्माण विभाग झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियन्ता(राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५.११.२०२३
25.1.2021

अभियन्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, राँची।